स्थापित–1957

के0बी0पी0जी0 कालेज,

मीरजापुर (उ0प्र0)

(सम्बद्ध माँ विन्ध्यवासिनी विश्वविद्यालय, मीरजापुर)

विवरणिका/प्रवेश आवेदन फार्म

स्नाकोत्तर कला एवं विज्ञान संकाय

सत्र 2025-2026

प्राचार्य

(वर्ष–2023, 2024 एवं 2025 में उत्तीर्ण छात्र ही स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश हेतु आवेदन करें)

प्राचार्य का संदेश

प्रिय विद्यार्थियों,

महाविद्यालय के नवीन शैक्षिक सत्र में आप सभी का स्वागत है।

हमारा देश भारतवर्ष विस्तृत भूभाग में विशाल जनसमूह को धारण करता हुआ विविध भाषाओं, धर्मो और परम्पराओं तथा इस विविधता को एक सूत्र में पिरोने वाली प्राचीन संस्कृति का देश है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् भारतीय गणराज्य के निर्माताओं ने जिस विकसित, शक्तिशाली और विश्व मानवता के उन्नायक राष्ट्र के निर्माण का स्वप्न देखा था, उसे साकार करने का सर्वाधिक गुरूतर दायित्व हमारी शिक्षण संस्थाओं का है, जिन पर राष्ट्र के भावी कर्णधारों के व्यक्तित्व के बहुमुखी विकास की जिम्मेदारी है।

उपर्युक्त महान उद्देश्य की पूर्ति हेतु जनपद मीरजापुर की सबसे पुरानी उच्च शिक्षण संस्था हमारा यह महाविद्यालय वर्ष 1957 में अपनी स्थापना के समय से ही सतत कार्यरत है।

आ नो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतः

महाविद्यालय का यह प्रेरणा सूत्र है। ऋग्वेद के प्रथम मण्डल की सूक्त सं0–89 की प्रथम ऋचा का यह प्रथम चरण है। इसमें प्रार्थना की गयी है कि सभी अन्तर्निहित तथा व्यक्त अभीष्ट शक्तियाँ सभी दिशाओं से (सद्ज्ञान, सत्संकल्प तथा सत्कार्य के लिये) हमारे पास आ जायें। आइये आप और हम मिलकर अपने आचरण से इस आदर्श को चरितार्थ करने की ओर अग्रसर हों, ऐसी हमें आशा है।

महाविद्यालय में प्रवेश लेने जा रहे आप सभी विद्यार्थियों से हम अपेक्षा करते हैं कि आप शिक्षण और शिक्षणेत्तर गतिविधियों में प्रतिभाग करते हुये निष्ठा, समर्पण तथा अनुशासन के मानकों के अनुरूप आचरण करें। जिस पाठ्यक्रम में आप प्रवेश ले रहे हैं उसमें विशिष्ट शैक्षिक उपलब्धियाँ तो अर्जित करें हीं, अपने व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करते हुये भविष्य में राष्ट्र निर्माण तथा उन्नयन में योगदान करके अपने साथ अपने महाविद्यालय की भी कीर्ति का प्रसार करें।

महाविद्यालय परिवार योग्य एवं कर्तव्यनिष्ठ अध्यापकों और कर्मचारियों तथा शैक्षिक और शिक्षणेत्तर गतिविधियों हेतु अपने उपलब्ध संसाधनों के साथ आपके पूर्ण सहयोग और मार्गदर्शन के लिये तथा आपके सम्मुख आने वाली किसी भी कठिनाई के निराकरण हेतु पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। राष्ट्र और मानवता का कल्याण आपके उत्थान में ही निहित है।

शुभकामनाओं के साथ

प्राचार्य

(वर्ष-2023, 2024 एवं 2025 में उत्तीर्ण छात्र ही स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश हेतु आवेदन करें)

महाविद्यालय में स्नातकोत्तर स्तर पर संचालित पाठ्यक्रम

कला संकाय

स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर के प्रत्येक विषय में 60 सीट एवं प्रायोगिक विषयों (शिक्षा शास्त्र, भूगोल एवं मनोविज्ञान) में 30 सीट निर्धारित हैं।

1. हिन्दी,
2. संस्कृत,
3. अंग्रेजी,
4. राजनीति शास्त्र,
5. आधुनिक एवं मध्यकालीन इतिहास
6. प्राचीन इतिहास (स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत)
7. शिक्षा शास्त्र (स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत)
8. समाज शास्त्र (स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत)
9. मनोविज्ञान (स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत)
10. भूगोल (स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत)

विज्ञान संकाय

स्नातकोत्तर स्तर पर रसायन शास्त्र में 30 सीटें निर्धारित हैं।

रसायन शास्त्र (स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत)

प्रवेश सम्बन्धी सूचना एवं नियम

1- महाविद्यालय का शैक्षणिक सत्र (2025–2026) विश्वविद्यालय के निर्देशानुसार प्रारम्भ होगा।

2- स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश विभागीय प्रवेश समिति द्वारा श्रेष्ठता सूची के आधार पर मुख्यतः स्नातक (तृतीय वर्ष) के परीक्षा परिणाम के आधार पर किया जायेगा।

3- स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश हेतु आवेदन करने से पूर्व सम्बन्धित छात्र/छात्रा को माँ विन्ध्यवासिनी विश्वविद्यालय, मीरजापुर के समर्थ पोर्टल mvvuadm.samarth.edu.in

पर पंजीकरण करना अनिवार्य है। बिना पंजीकरण के प्रवेश आवेदन मान्य नही होगा। पंजीकरण हेतु छात्र/छात्रा ई–मेल व मोबाइल नम्बर/व्हाटसप नम्बर सही व स्वयं का ही अंकित करे, किसी अन्य का ई–मेल या मोबाइल नम्बर अंकित करने पर भविष्य में उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों के लिये महाविद्यालय उत्तरदायी नहीं होगा।

4- छात्र/छात्रा का महाविद्यालय में स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश होने के पश्चात् सम्बन्धित छात्र/छात्रा के ई–मेल पर महाविद्यालय द्वारा एक प्रवेश कन्फर्मेशन ई–मेल प्रेषित किया जायेगा, जिसे छात्र/छात्रा द्वारा ओपन कर महाविद्यालय में अपना प्रवेश एक्सेप्ट करना होगा अन्यथा उनका प्रवेश स्वतः निरस्त हो जायेगा।

5- **स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश पात्रता के लिये अनिवार्य है कि स्नातक तृतीय वर्ष में चुने गये विषयों में से कोई एक विषय में आवेदन करें।**

6- **एक संकाय/विभाग में प्रवेश हेतु आवेदन–पत्र किसी अन्य संकाय/विभाग में स्थानान्तरित नहीं किया जायेगा। यदि कोई अभ्यर्थी कई विभागों/संकायों में प्रवेश हेतु आवेदन करना चाहता है तो उसे विभाग/संकाय में अलग–अलग आवेदन करना चाहिए।**

7- **वर्तमान सत्र में यदि किसी छात्र/छात्रा द्वारा इस संस्था के अतिरिक्त किसी दूसरी संस्था में संस्थागत छात्र के रूप में प्रवेश लिया जाता है तो संज्ञान में आने पर उसका प्रवेश तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जायेगा।**

8- **आवेदन–पत्र जमा करते समय आवश्यक संलग्नक अवश्य लगा दें। फार्म जमा करने के पश्चात् कोई भी संलग्नक स्वीकार नहीं किया जायेगा।**

9- **आवेदन–पत्र जमा करते समय प्राप्ति रसीद अवश्य प्राप्त करें।**

10- **प्रवेश हेतु आवेदन–पत्रों के समय से न पहुंच पाने का उत्तरदायित्व महाविद्यालय पर नहीं होगा। प्रवेश लेते समय प्रवेशार्थी को सभी वांछित प्रपत्रों की मूल प्रतियाँ प्रवेश समिति के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य है।**

(वर्ष–2023, 2024 एवं 2025 में उत्तीर्ण छात्र ही स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश हेतु आवेदन करें)

11- किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश पाने वाले छात्रों की संख्या उस विशेष पाठ्यक्रम में निर्धारित स्थान पर निर्भर करेगी। अंतिम तिथि तक प्राप्त आवेदन-पत्रों पर ही प्रवेश हेतु विचार किया जायेगा।

12- प्रवेश के लिये चुने गये अभ्यर्थी निश्चित तिथि तक महाविद्यालय में उपस्थित होकर अपेक्षित शुल्क जमा कर तथा जिस पाठ्य विषय में प्रवेश दिया गया है उसके विभागाध्यक्ष को रसीद दिखाकर अपना नाम कक्षा रजिस्टर में सात दिनों के अन्दर अंकित करा लें।

13- प्रवेश समिति/प्राक्टर/विभागाध्यक्ष की संस्तुति पर किसी छात्र का प्रवेश निरस्त किया जा सकता है।

14- यदि कोई छात्र/छात्रा प्रवेश लेने के पश्चात् अपना प्रवेश निरस्त कराता है तो उसे किसी भी प्रकार के शुल्क की वापसी महाविद्यालय द्वारा नहीं किया जायेगा।

15- किसी भी कक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाला छात्र उक्त कक्षा में विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित बैक पेपर की परीक्षा में सम्मिलित हो सकता है परन्तु उसी कक्षा में संस्थागत छात्र के रूप में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

16- स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर की कक्षाओं में प्रवेश के लिये उन्हीं अभ्यर्थियों के आवेदन-पत्रों पर विचार किया जायेगा जिन्होंने योग्यता प्रदायी परीक्षा 2023 तक उत्तीर्ण कर लिया हो।

17- एक वर्ष के अन्तराल पर 5 प्रतिशत की कटौती एवं दो वर्ष के अन्तराल पर 10 प्रतिशत की कटौती प्राप्तांक से की जायेगी।

18- वर्ष अन्तराल हेतु अभ्यर्थी को इस आशय का शपथ-पत्र आवेदन-पत्र के साथ देना होगा कि अन्तराल वर्षों में किसी भी विषय से स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण नहीं किया है।

19- ऐसे अभ्यर्थी जो पूर्व में एक विषय से स्नातकोत्तर कर चुके हैं, उनका महाविद्यालय में पुनः दूसरे विषय की स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश नहीं होगा।

20- आरक्षण सम्बन्धी नियम :-

शासन के निर्देशानुसार आरक्षण सम्बन्धी नियमों के तहत प्रवेश किया जायेगा। कुल निर्धारित सीट के अतिरिक्त 10 प्रतिशत (दस प्रतिशत) सामान्य वर्ग के लिये EWS के अन्तर्गत आरक्षित रहेगा।

21- एम0ए0/एम0एस-सी0 प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश हेतु देय अधिभार (वेटेज) निम्नलिखित है :-

(क) शासनादेश के अनुसार अनुमन्य आरक्षण नियम लागू होगा। प्रवेश हेतु चुने गये अभ्यर्थियों को प्रवेश के समय जाति का मूल प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(ख) एम0ए0/एम0-एससी0 प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश के लिये सम्प्रति के0बी0पी0जी0 कालेज से डिग्री प्राप्त (योग्यता प्रदायी) अभ्यर्थियों को 10 अंक का अधिभार देय होगा।

(ग) एन0सी0सी0 "बी" प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर 10 अंक देय होगा।

(घ) एन0सी0सी0 "सी" प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर 15 अंक देय होगा।

(ङ) विकलांगों एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए क्रमशः एक-एक प्रतिशत स्थान उसी श्रेणी में आरक्षित रहेगा।

(च) अर्न्तविश्वविद्यालयीय/अर्न्तमहाविद्यालयीय खेलकूद का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर 10 अंक देय होगा।

(छ) राष्ट्रीय सेवा योजना के अन्तर्गत केवल दस/सात दिवसीय विशेष शिविर का प्रमाण-पत्र अथवा रोवर्स रेंजर्स निपुण का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर 10 अंक देय होगा।

(ज) स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश हेतु प्रकाशित सूची में प्राप्तांक एवं प्रदत्त अधिभार का योग समान होने की दशा में अभ्यर्थियों की श्रेष्ठता का निर्धारण सर्वप्रथम जन्म तिथि के आधार पर तथा आयु वर्ग भी समान होने की दशा में वांछित विषय में स्नातक तृतीय वर्ष के सम्बन्धित विषय के प्राप्तांक को जोड़कर ज्येष्ठता का निर्धारण किया जायेगा।

टिप्पणी

(क) उपर्युक्त सुविधाओं पर दो से अधिक सुविधाओं का अधिभार नहीं दिया जायेगा। अधिभार अंक की अधिकतम सीमा 25 अंक होगी।

(ख) महाविद्यालय के शिक्षक, शिक्षणेतर कर्मचारियों (कार्यरत / अवकाश प्राप्त) के पति, पत्नी, पुत्र, पुत्री व सगे भाई–बहनों के लिये प्रवेश मानकों की अनिवार्यता नहीं रहेगी।

22- महाविद्यालय के पठन–पाठन के हित में प्राचार्य / नामित सक्षम अधिकारी, आवश्यकतानुसार नये नियम निर्देशित कर सकते हैं।

शोध

मॉ विन्ध्यवासिनी विश्वविद्यालय, मीरजापुर द्वारा समय–समय पर आयोजित शोध प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण छात्र / छात्राओं को विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित अर्हता सम्बन्धित प्राविधानों का अनुपालन करते हुये तथा उ0प्र0 शासन द्वारा अनुमन्य आरक्षण के नियमों के अनुसार महाविद्यालय के निम्नलिखित संकायों / विषयों में पंजीकरण की सुविधा प्रदान की गयी है :–

कला संकाय के अन्तर्गत हिन्दी, संस्कृत, अंग्रेजी, राजनीति शास्त्र, मध्य एवं आधुनिक इतिहास, प्राचीन इतिहास. (स्ववित्तपोषित)।

विज्ञान संकाय के अन्तर्गत रसायन शास्त्र (स्ववित्तपोषित)।

परिचय पत्र

प्रत्येक छात्र / छात्रा को महाविद्यालय द्वारा प्रदत्त परिचय पत्र अपने पास रखना आवश्यक है। किसी भी समय सक्षम अधिकारी द्वारा मांगे जाने पर छात्र / छात्रा द्वारा इसे प्रस्तुत करना अनिवार्य है। परिचय पत्र खो जाने पर रू0 100/– शुल्क जमा करने पर परिचय पत्र की द्वितीय प्रति प्राप्त की जां सकती है। द्वितीय वर्ष के छात्रों को प्रवेश के 15 दिन के अन्दर अपना परिचय पत्र बनवा लेना चाहिए।

यूनिफार्म

महाविद्यालय द्वारा निर्धारित यूनिफार्म छात्र / छात्राओं के लिये अनिवार्य है।

छात्र–काला पैन्ट एवं सफेद कमीज

(वर्ष-2023, 2024 एवं 2025 में उत्तीर्ण छात्र ही स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश हेतु आवेदन करें)

छात्रा–सफेद सलवार एवं ग्रे समीज

साइकिल स्टैण्ड

छात्र/छात्राओं की साईकिलों की सुरक्षा के लिए महाविद्यालय की ओर से साइकिल स्टैण्ड की व्यवस्था है। किसी अन्य स्थान पर वाहनों का रखना वर्जित है। अन्यत्र रखने पर वाहन खो जाने की दशा में छात्र/छात्रा स्वयं जिम्मेदार होंगे।

क्रीड़ा

महाविद्यालय में क्रीड़ा व्यवस्था हेतु क्रीड़ा प्रभारी नियुक्त हैं छात्र/छात्रा उन्हीं से सम्पर्क कर होने वाले खेल–कूद की सूचना समय–समय पर प्राप्त कर सकते हैं। महाविद्यालयीय क्रीड़ा व्यवस्था के अतिरिक्त विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त महाविद्यालयों के अन्तर्गत अन्तर महाविद्यालयीय प्रतियोगिताओं का आयोजन समय–समय पर निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार होता है। छात्र/छात्रा इस हेतु भी क्रीड़ा प्रभारी से सूचना प्राप्त कर सकते हैं।

नियन्ता मण्डल

महाविद्यालय में अनुशासन बनाये रखने के लिये नियन्ता मण्डल का गठन किया गया है। महाविद्यालय परिसर में अनुशासनहीनता एवं किसी भी प्रकार का कदाचार करने पर छात्र/छात्रा के विरूद्ध नियन्ता मण्डल द्वारा कठोर अनुशासनात्मक/निष्कासन की कार्यवाही की जा सकती है।

नेशनल कैडेट कोर (एन0सी0सी0)

महाविद्यालय में नेशनल कैडेट कोर (एन0सी0सी0) की इकाइयां कार्य कर रही हैं। छात्र/छात्राओं से इसमें शामिल होने की अपेक्षा की जाती है, विस्तृत जानकारी एन0सी0सी0 कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

एन0सी0सी0 अधिकारी

1. मेजर प्रो0 मकरन्द जायसवाल–प्रोफेसर, समाज शास्त्र विभाग।
2. श्री रतनेश कुमार, असिस्टेण्ट प्रोफेसर शिक्षा शास्त्र विभाग।

रोवर्स/रेंजर्स

महाविद्यालय में रोवर्स/रेंजर्स की इकाइयां कार्य कर रही हैं। छात्र/छात्राओं को प्रवेश की सुविधा उपलब्ध है।

(वर्ष–2023, 2024 एवं 2025 में उत्तीर्ण छात्र ही स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश हेतु आवेदन करें)

1. डॉ0 कुलदीप पाण्डेय, असिस्टेण्ट प्रोफेसर मध्यकालीन एवं आधुनिक इतिहास विभाग।
2. डॉ0 प्रतिमा भारतीया, असिस्टेण्ट प्रोफेसर हिन्दी विभाग।

सुरक्षा निधि की वापसी

महाविद्यालय छोड़ने के दो वर्षो के भीतर जमा की गयी सुरक्षा निधि आवेदन पत्र देकर वापस ली जा सकती है। भुगतान केवल एकाउण्ट पेयी चेक द्वारा होगा।

पुस्तकालय/वाचनालय

महाविद्यालय पुस्तकालय से पुस्तकें प्राप्त करने के लिये पुस्तकालय कार्ड का होना आवश्यक है। प्रवेश पाने के बाद छात्र/छात्राओं को अपना पुस्तकालय कार्ड बनवा लेना चाहिए। किसी भी छात्र/छात्रा को तीन से अधिक पुस्तकें निर्गत नहीं की जायेगी।

प्रवेशार्थ विश्वविद्यालय के अध्यादेश/निर्देश

ध्यातब्य नियम :–

1- महाविद्यालय में प्रवेश प्राप्त प्रत्येक छात्र/छात्रा से यह अपेक्षा की जाती है कि समय से देय शुल्क जमा करेगा/करेगी। ऐसा न करने पर अर्थ दण्ड लगाया जा सकता है।

2- जमा किये गये प्रत्येक शुल्क की रसीद दी जायेगी जिसे सुरक्षित रखना होगा।

3- जमा किया गया कोई शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं किया जायेगा।

4- यदि शुल्क में कोई परिवर्तन होता है तो परिवर्तित शुल्क ही देय होगा।

5- प्रवेश प्राप्त प्रत्येक छात्र/छात्रा को नियमानुसार पूरे सत्र का शुल्क देना होगा।

6- प्रवेश रसीद खो जाने पर दूसरी रसीद रू0 100/– जमा करने पर ही दी जायेगी।

महत्वपूर्ण निर्देश

महाविद्यालय परिसर में गुटखा, पान, तम्बाकू इत्यादि मादक पदार्थों का सेवन प्रतिबन्धित है। इन मादक पदार्थो का सेवन करते हुए पाये जाने वाले छात्र/छात्राओं पर रू0 200/– का आर्थिक दण्ड देय होगा।

महाविद्यालय परिसर को भारत स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत प्रत्येक छात्र/छात्राओं को स्वच्छ रखने की जिम्मेदारी होगी।

(वर्ष–2023, 2024 एवं 2025 में उत्तीर्ण छात्र ही स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश हेतु आवेदन करें)

महाविद्यालय परिसर में रैगिंग अपराध है। ऐसी स्थिति में प्रत्येक छात्र/छात्रा का यह कर्तव्य है कि परिसर को रैगिंग मुक्त रखें।

छात्राओं से सम्बन्धित किसी भी समस्या के निवारण हेतु महिला सेल महाविद्यालय में संचालित है। इस निमित्त छात्रायें उक्त सेल से सम्पर्क कर सकती हैं।